तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3839/2005/जालोर** **हापू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2021	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट श्री शंकर लाल चौधरी, राजकीय अभिभाषक **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली दिनांक 30.04.2005 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), सांचोर के समक्ष विवादित आराजी ख0न0 50 रकबा 15 बीघा हाल ख0न0 245 रकबा 0.82 है0, ख0न0 251 रकबा 0.67 है0, ख0न0 252/639 रकबा 0.73 है0 के संबंध में एक वाद बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाव दावे के आधार पर तनकीयात की जाकर उभयपक्षों की सनुवाई के पश्चात अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2004 वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2004 से ग्रसित होकर अपीलांट/वादी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2005 खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2005 से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि संवत 2020 में विधिवत अपीलांट को आवंटित की गयी थी तथा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3839/2005/जालोर** **हापू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवंटन के आधार पर नामांतरकरण संख्या 128 व 129 स्वीकृत किये गये थे तथा विवादित आराजी का अपीलांट को खातेदार दर्ज किया था। दौराने नवीन सेटलमेन्ट उक्त विवादित आराजी के नये खसरा नंबर बनाये गये किन्तु उसमें अपीलांट को खातदोर दर्ज नहीं किया जाकर आराजी राजकीय खाते में दर्ज कर दी गयी। जिसे सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी अपीलांट को संवत 2020 में आवंट्ति हुई थी तथा निरंतर 10 वर्ष तक कब्जा काश्त होने पर उसे गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि बंदोबस्त से पूर्व विवादित आराजी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज थी लेकिन हाल बंदोबस्त के दौरान विवादग्रस्त अपीलांट की खातेदारी में दर्ज नहीं की जाकर राज्य सरकार के खाते में दर्ज की गयी। बंदोबस्त अधिकारियों को विवादित आराजी राज्य सरकार के नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं था। बंदोबस्त धिकारी केवल पूर्व राजस्व रिकार्ड की पुर्नरावतृति का अधिकार रखते है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुये निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 4(2) सी0पी0सी0 व अपील अधिकारी का निर्णय व डिक्री आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के अनुसार नहीं का जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि गत सेटलमेंट में कायम विवादित रकबा राजकीय सिवायचक रकबा दर्ज था। जिसके बाबत कोई आवंटन आदेश अपीलांट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट के पक्ष में जो नामांतरकरण स्वीकृत किये गये है उनमें मात्र आवंटन संवत 2020 में होना अंकित किया गया है, स्पष्ट रूप से आवंटन आदेश कमांक एवं दिनांक कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवंटी में पक्ष में खातेदारी व गैर खातेदारी का नामांतरकरण एक साथ खोला जाकर राजस्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3839/2005/जालोर** **हापू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है और नामांतरकरण सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है। आवंटन संबंधित नामांतरकरण स्वीकृत करने के लिए सरपंच सक्षम नहीं होता है। अतः स्वीकृत नामांतरकरण शून्य की श्रेणी में आता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपने प्रकरण के समर्थन में नामांतरकरण के अलावा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य जैस आवंटन आदेश, फर्द कब्जा सुपुर्दगी, लगान अदायकी की रसीदें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष क विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

‘‘ नामांतरकरण संख्या 128 व 129 को एक साथ खोला जाकर गैर खातेदारी एवं खातेदारी एक साथ दर्ज की गयी है, जबकि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के तहत गैर खातेदार द्वारा आवंटन की समस्त शर्ते पूर्ण किये जाने पर ही खातेदारी अधिकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रदान किये जा सकते है। नामांतरकरण सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है, पटवारी ने उक्त नामांतरकरण खोले जाने का आधार संवत 2020 में आवंटन होना अंकित किया है, किन्तु आवंटन आदेश क्रमांक एवं दिनांक का कोई अंकन नहीं किया है। समूचे प्रकरण में वादी/अपीलांट द्वारा किसी भी स्तर पर न तो आवंटन आदेश का क्रमांक एवं दिनांक प्रकट किये गये है और न ही आवंटन आदेश की कोई प्रति प्रस्तुत की गयी है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का विनिश्चयन वादी/अपीलांट के खिलाफ किया गया है, जिससे अदालत हाजा सहमत है।

तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर विवादित आराजी अपीलांट/वादी की खातेदारी की होना साबित नहीं होता है,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3839/2005/जालोर** **हापू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ऐसी स्थिति में प्रदर्श चार के अनुसार उक्त भूमि साबिक खसरा नं0 50 से बने हाल ख0न0 245 रकबा 0.82 है0, ख0न0 251 रकबा 0.67 है0, ख0न0 252/639 रकबा 0.73 है0 बारानी द्वितीय को प्रदर्श दो नकल जमाबंदी संवत 2057–60 के अनुरूप राजस्व में दर्ज किया जाना सेटलमेंट विभाग की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं माना जा सकता है। फलतः तनकी संख्या 1 के परिपेक्ष्य में तनकी संख्या 1 का निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायाल द्वारा वादी/अपीलांट के खिलाफ पारित करने में कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।''

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी विवादित भूमियों का उसको पूर्व में आवंटित किये जाने का आधार अपना वाद लेकर आया है। परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट/वादी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष उक्त विवादित भूमियों का उन्हें पूर्व में आवंटन किये जाने से संबंधित कोई विधिपूर्ण आवंटन आदेश न तो प्रस्तुत किया है और ना ही आवंटन को अपनी साक्ष्य से सिद्ध व प्रमाणित किया है। इसलिए इस प्रकरण में विधिपूर्ण आवंटन आदेश का अभाव स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। वादी/अपीलांट को भूमियों का आवंटन किसी सक्षम आवंटन कमेटी /सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें किया गया है इसका भी अभाव स्पष्ट दिखायी देता है। समूचे प्रकरण में वादी/अपीलांट द्वारा किसी भी स्तर पर न तो आवंटन आदेश का क्रमांक एवं दिनांक प्रकट किये गये है और न ही आवंटन आदेश की कोई प्रति प्रस्तुत की गयी है। विवादित आराजी के सबंध में वादी/अपीलांट द्वारा राशि जमा कराने बाबात कोई डिमाण्ड नोटिस, भूमि के शूल्क जमा कराने की रसीदें व तत्समय की सनद भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन समस्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि अपीलांट/वादी को किसी आवंटन कमेटी /सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवादित भूमियों का कोई विधिपूर्ण आवंटन नहीं किया गया और ना ही कोई विधिपूर्ण आवंटन आदेश जारी किया गया है।

उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के उपरांत भी राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्ध है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3839/2005/जालोर** **हापू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस प्रकार की स्थितियों में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम भी नहीं होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत का उक्त आदेश विधिविरूद्ध व अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से पूर्णतः शून्य की श्रेणी में आता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है, जो विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 26.03.04 व 30.04.2005 बहाल रखे जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष